तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 11/2025 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम दिनेश	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामिल में जारी
20.3.2025	पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स दिनेश प्रजापत, राजपुरा रोड़, सिवेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 16–8–2024 को फर्म दिनेश प्रजापत, राजपुरा रोड़, सिवेरा तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से बनी मिठाई) का नमूना संख्या S-2388, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1230/Act/2024/1268 दिनांक 04–9–2024 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण तके नियत सुनवाई तिथि 18.03.2024 को प्रतिवादी दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत को दिनांक 18.3.2024 को ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि वह बाहर से दूध क्रय कर कलाकन्द बनाता है, जिसमें उसने कोई मिलावट नही की है। यह उसका प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 16–8–2024 को समय 04–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स दिनेश प्रजापत, राजपुरा रोड़, सिवेरा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। जहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा उक्त मैसर्स दिनेश प्रजापत के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर एक स्टील की ट्रे में लगभग 6 मिलोग्राम खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) आमजन के बिक्री हेतु रखी हुई पाई, जिसमें मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत को गवाह जोगाराम, राजपुरा रोड़, सिवेरा के समक्ष प्रतिवादी दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत ....लगातार	

न्यायालय ग्रा० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	F.S.S.Act Case No. 11/2025 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम दिनेश

को प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने मैसर्स दिनेश प्रजापत से आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए लगभग 6 किलोग्राम खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) में से 02 किलोग्राम खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) को एक साफ, सूखी, खाली थैली में तुलवाकर खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 800/- (अक्षरे रुपये आठ सौ मात्र) प्रतिवादी दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत को अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। जिस पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत, उक्त गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी विक्रेता दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत व उक्त गवाह को चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक की शीशीयों को दिखाकर उक्त खरीदशुदा कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) को हिला मिलाकर एकरुप कर चारों शीशीयों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना शीशी में फार्मेलीन की 40-40 बूंदे डालकर चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-2388, नमूना लेने की तारीख, स्थान व खाद्य पदार्थ के नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक लेबल पर प्रतिवादी दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत, उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना शीशी को कागज में लपेट कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार सील चपडी किया और चारों नमूना भागों को अपने में कब्जे में लेकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) के नमूना संख्या S-2388 का एक नमूना भाग श्री महेश परिहार, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को दिनांक 23.08.2024 को जमा करवाया तथा शेष तीन नमूना भाग मय फार्म नं. 6 के बन्द लिफावा दिनांक 16.8.2024 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाया। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) के नमूना संख्या S-2388 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1230/Act/2024/1268 दिनांक 04-9-2024 में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) का नमूना संख्या S-2388 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत, खाद्य

........लगातार

न्यायालय प्राधि. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

प्राधि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 11/2025 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम दिनेश	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामिलमें जारी

कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स दिनेश प्रजापत, राजपुरा रोड़, सिवेरा द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) के विक्रय हेतु प्रतिवादी दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स दिनेश प्रजापत, राजपुरा रोड़, सिवेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी दिनेश पुत्र जोताराम जी प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स दिनेश प्रजापत, राजपुरा रोड़, सिवेरा को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 26.4.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.